रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20012026-269459
CG-DL-E-20012026-269459

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 245] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 20, 2026/पौष 30, 1947
No. 245] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 20, 2026/PAUSHA 30, 1947

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2026

का.आ. 273(अ).— मुख्य वैद्युत निरीक्षक की योग्यता, शक्ति और प्रकार्य तथा वैद्युत निरीक्षक नियम, 2006 (जिसे इसके बाद उक्त नियम कहा जाएगा), जिसे दिनांक 17.8.2006 को अधिसूचित किया गया तथा दिनांक 16.05.2016 को संशोधित किया गया, के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 162 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद् द्वारा, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसीएल) के निम्नलिखित अधिकारी को उक्त नियमों में उल्लिखित योग्यता और शर्तों के अध्यधीन, इस अधिसूचना की तारीख से महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसीएल) में उनके कार्यकाल तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नागपुर मेट्रो रेल परियोजना लिमिटेड (एनएमआरपी) के मुख्य वैद्युत निरीक्षक के रूप में नियुक्त करती है:

क्रम सं.	नाम	पदनाम	योग्यता	नियुक्तियों के लिए प्रस्तावित
1	श्री अरुण टी धार्मिक	कार्यकारी निदेशक (ट्रैक्शन और पीएस), पुणे मेट्रो	बी.टेक (इलेक्ट्रिकल) आईआईटी कानपुर	मुख्य वैद्युत निरीक्षक, नागपुर मेट्रो रेल परियोजना

उपर्युक्त अधिकारी समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 में प्रदत्त प्रक्रिया के अनुसार, एमएमआरसीएल के नियंत्रणाधीन/एमएमआरसीएल से संबंधित कार्यों और विद्युत संस्थापनों के संबंध में एमएमआरसीएल के अधिकार क्षेत्र में संचालित विद्युत कार्यों, विद्युत संस्थापनों और विद्युत रोलिंग स्टॉक के संबंध में शक्तियों का प्रयोग और अपने प्रकार्यों का निष्पादन करेंगे।

यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उपर्युक्त अधिकारी किसी भी विद्युत कार्य या संस्थापन, जिसका निष्पादन या रखरखाव उनकी जिम्मेदारी है, के संबंध में मुख्य वैद्युत निरीक्षक के रूप में कार्य न करें।

मुख्य वैद्युत निरीक्षक के रूप में नियुक्त अधिकारी को ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा, जिसे केन्द्र सरकार इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे और ऐसा प्रशिक्षण सरकार की संतुष्टि के अनुसार पूरा किया जाएगा।

[फा. सं. 42/5/2023-आरएंडआर-पार्ट]

पीयूष सिंह, अपर सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th January, 2026

S.O. 273(E).— In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 162 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with Qualifications, Powers and Functions of Chief Electrical Inspector and Electrical Inspectors Rules, 2006 (hereinafter called the said Rules), notified on 17.08.2006 and as amended on 16.05.2016, the Central Government hereby appoints the following officer of Maharashtra Metro Rail Corporation Limited (MMRCL) as Chief Electrical Inspector for Nagpur Metro Rail Project (NMRP) from the date of this Notification till his tenure in Maharashtra Metro Rail Corporation Limited (MMRCL) or till further orders, whichever is earlier, subject to fulfillment of the qualifications and conditions mentioned in the said Rules:-

S. No.	Name	Designation	Qualification	Proposed for appointments as
1	Shri Arun T Dharmik	Executive Director (Traction & PS), Pune Metro	B.Tech (Electrical) IIT Kanpur	Chief Electrical Inspector for Nagpur Metro Rail Project

The above mentioned officer shall exercise the powers and perform his functions in respect of electrical works, electrical installations and electrical rolling stock in operation within the areas occupied by MMRCL in respect of work and electrical installations under the control of MMRCL/belonging to MMRCL as per the procedure laid down in Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electricity Supply) Regulations, 2010, as amended from time to time.

It shall be ensured that above mentioned officer shall not function as Chief Electrical Inspector in respect of any electrical work or installation, for which, execution or maintenance is his responsibility.

The officer appointed as Chief Electrical Inspector shall undergo such training as the Central Government may consider necessary for the purpose and such training shall be completed to the satisfaction of the Government.

[F. No. 42/5/2023-R&R-part]

PIYUSH SINGH, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA